

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प.3(1)कार्मिक/क-2/2013

जयपुर, दिनांक :

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय-मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम-9 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा/कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) (किसी एक भाषा में) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2017 के द्वारा उक्त टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा लिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत नियुक्त कार्मिकों की टंकण परीक्षा के संबंध में विभिन्न संघों द्वारा कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया गया है कि मृतक आश्रित कर्मचारियों की जिला स्तर पर होने वाली टंकण परीक्षा सभी जिला कलेक्टर्स द्वारा भिन्न-भिन्न तरीके से ली जा रही है, जिससे कार्मिकों की ली जाने वाली टंकण परीक्षा में समरूपता नहीं रहती है।

अतः टंकण परीक्षा में समरूपता एवं पारदर्शिता हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स जिस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत अभ्यर्थियों से टंकण परीक्षा ऑनलाईन ली जाती है, उसी प्रकार अनुकम्पा नियमों के तहत नियुक्त कार्मिकों की जिला स्तर पर ली जाने वाली टंकण परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी में से एक भाषा में) भी प्रश्नपत्र परिच्छेद ऑनलाईन कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए ही आयोजित करावें।

अतः समस्त जिला कलेक्टर्स, विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.08.19 13:05:27 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.08.19 13:00:27 IST
Reason: Approved